आदेशिका

अपील संख्या 08एम/2018 चुन्नीलाल बनाम सरकार

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसाारित पत्रांक एवं दिनांक
29.11.18	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक23.11.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा इस न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या 332/07 पन्नाराम बनाम सरकार अपीलार्थी के वकील द्वारा पैरवी की हिदायत नहीं होने/No Instruction में खारिज की गई। प्रार्थीगण की प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का कथन है कि पन्नाराम द्वारा इस न्यायालय में अपील पेश की गई थी। पन्नाराम की मृत्यु दिनांक 07.12.2009 को हो चुकी है। प्रार्थीगण को उक्त अपील के विचाराधीन होने का इल्म नहीं था। पन्नाराम के अधिवक्ता द्वारा अपील को खारिज करवाने से पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई। प्रार्थीगण ग्रामीण एवं अनपढ व्यक्ति है जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है। इस न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर बिना किसी देरी के प्रा.पत्र पेश कर दिया जिसके लिए मियाद अधि. की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः प्रा.पत्र पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए प्रा.पत्र अन्दर मियाद माना जाकर प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जावे। जबकि विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रा.पत्र मियाद बाहर पेश हुआ है। प्रार्थीगण या पन्नाराम द्वारा समय–समय	

पर अपने वकील से प्रकरण के बारे में सम्पर्क करना चाहिए था। प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रा.पत्र में जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन राजकीय अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रा.पत्र पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, पन्नाराम के वकील द्वारा दिनांक 23.11.2017 को अपील में No Instruction करने से अपील खारिज कर दी जबकि ऐसा करने से पूर्व पन्नाराम को किसी प्रकार से नोटिस जारी किया जाना नहीं पाया जाता है, इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ग्रामीण क्षेत्र के एवं अनपढ काश्तकार है जिन्हें कानून की अधिक जानकारी नहीं होती। ऐसी स्थिति में न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए इस न्यायालय का आदेश दिनांक 23.11.2017 निरस्त करते हुए अपील को नये नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णित प्रा. पत्र नम्बर से कम होकर शामिल अपील रहे।